

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 596]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 23 नवम्बर 2010—अग्रहायण 2, शक 1932

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2010

क्र. 24687-वि.स.-विधान-2010.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम-59 के अधीन अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2010 (क्रमांक 30 सन् 2010) को उससे संबद्ध उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण सहित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है. तदनुसार यह विधेयक तथा उद्देश्यों और कारणों का विवरण जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३० सन् २०१०

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक- ४) विधेयक, २०१०

वित्तीय वर्ष २०१०-२०११ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-४) अधिनियम, २०१० है.

वित्तीय वर्ष २०१०-२०११ के लिये राज्य की संचित निधि में से ६८,७३,९२,०८,८०० रुपयों का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग छः हजार आठ सौ तिहत्तर करोड़ बानवें लाख आठ हजार आठ सौ रुपये होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत वित्तीय वर्ष २०१०-२०११ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची
(धारा २ और ३ देखिये)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवायें और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां			
		विधानसभा द्वारा अनुदत्त रुपये	संचित निधि पर भारत रुपये	योग रुपये	
.	भारत विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राजस्व	०	३,८४,७८,१९,४००	३,८४,७८,१९,४००
..	भारत विनियोग-लोक ऋण	पूंजी	०	२००	२००
०१.	सामान्य प्रशासन	राजस्व	९,५३,२३,०००	९२,००,०००	१०,४५,२३,०००
		पूंजी	५७,८७,५००	०	५७,८७,५००
०२.	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	८,००,०००	०	८,००,०००
०३.	पुलिस	राजस्व	४,०१,०१,२१,१००	०	४,०१,०१,२१,१००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
०४.	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व पूंजी	१,९८,४७,००० ६०,००,०००	० ०	१,९८,४७,००० ६०,००,०००
०५.	जेल	राजस्व	१४,३८,८०,१००	०	१४,३८,८०,१००
०६.	वित्त	राजस्व	५,००,०२,५०,०००	०	५,००,०२,५०,०००
०७.	वाणिज्यिक कर	राजस्व	२३,८८,९५,०००	०	२३,८८,९५,०००
०८.	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व पूंजी	१,४२,२३,५४,००० ९,२३,९०,०००	० ०	१,४२,२३,५४,००० ९,२३,९०,०००
०९.	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	५,४२,९१,०००	०	५,४२,९१,०००
१०.	वन	राजस्व	१,०२,१७,०७,१००	१५,७५,०००	१,०२,३२,८२,१००
११.	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	राजस्व पूंजी	११,६५,१५,१०० १,००,००,०००	० ०	११,६५,१५,१०० १,००,००,०००
१२.	ऊर्जा	राजस्व पूंजी	१,७५,५४,७०० ६,७५,६८,००,०००	० ०	१,७५,५४,७०० ६,७५,६८,००,०००
१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राजस्व	३२,१५,०६,०००	०	३२,१५,०६,०००
१४.	पशुपालन	राजस्व	४९,९९,९१,०००	०	४९,९९,९१,०००
१५.	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.				

(१)	(२)	(३)	
		रुपये	रुपये
१६. मछली पालन	राजस्व	३,२३,७४,०००	०
			३,२३,७४,०००
१७. सहकारिता	राजस्व	१३,७५,८८,०००	०
			१३,७५,८८,०००
१८. श्रम	राजस्व	१६,९०,३०,०००	०
			१६,९०,३०,०००
१९. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	३,८९,१९,०००	०
			३,८९,१९,०००
२०. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	८१,००,७५,०००	५०,००,०००
	पूँजी	४९,४७,३५,०००	०
२१. आवास एवं पर्यावरण	राजस्व	६,०१,२०,०००	०
			६,०१,२०,०००
२२. नगरीय प्रशासन एवं विकास- नगरीय निकाय.	राजस्व	२,३३,८०,०००	०
			२,३३,८०,०००
२३. जल संसाधन	राजस्व	५२,२३,७०,०००	०
	पूँजी	३,५९,८८,२५,०००	०
२४. लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	राजस्व	१,५७,०६,००,०००	०
	पूँजी	३,४५,७४,६०,८००	०
२५. खनिज साधन	राजस्व	२,५७,००,०००	०
			२,५७,००,०००
२६. संस्कृति	राजस्व	१३,७८,७०,०००	०
	पूँजी	१,००,००,०००	०

(१)	(२)	(३)	
		रुपये	रुपये
२७. स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)			
	राजस्व	८,८९,५९,९४,१००	०
	पूँजी	३६,८१,००,०००	०
२८. राज्य विधान मंडल			
	राजस्व	१,३६,२५,०००	०
२९. विधि और विधायी कार्य			
	राजस्व	९६,३४,००,०००	२,४०,००,०००
३०. ग्रामीण विकास			
	राजस्व	३४,१३,८०,०००	०
	पूँजी	१,५७,३८,००,०००	०
३१. योजना, आर्थिक और सांख्यिकी			
	राजस्व	२४,७३,००,०००	०
३२. जनसंपर्क			
	राजस्व	५,२४,१८,१००	०
३३. आदिम जाति कल्याण			
	राजस्व	१,१९,०७,७३,०००	०
३४. समाज कल्याण			
	राजस्व	१३,४२,८१,०००	०
३६. परिवहन			
	राजस्व	४,९१,१९,३००	१,००,०००
३८. आयुष			
	राजस्व	३६,८४,१५,०००	०
	पूँजी	४,२२,५०,०००	०
३९. खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण			
	राजस्व	३९,२९,५३,८००	०
४०. जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय—आयाकट			
	राजस्व	३७,५२,०००	०
४१. आदिवासी क्षेत्र उपयोगना			
	राजस्व	५३,०६,५४,०००	०
	पूँजी	१,१३,५३,५०,०००	०

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
४२.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल	पूँजी	३०,००,००,१००	०	३०,००,००,१००
४३.	खेल और युवक कल्याण	राजस्व	२,९२,६०,१००	०	२,९२,६०,१००
		पूँजी	२,००,००,०००	०	२,००,००,०००
४४.	उच्च शिक्षा	राजस्व	९९,३५,९०,०००	०	९९,३५,९०,०००
		पूँजी	२६,४३,१८,०००	०	२६,४३,१८,०००
४५.	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	पूँजी	५०,००,००,०००	१,८५,३३,०००	५१,८५,३३,०००
४७.	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण	राजस्व	१६,८४,०४,४००	०	१६,८४,०४,४००
		पूँजी	८०,००,०००	०	८०,००,०००
४९.	अनुसूचित जाति कल्याण	राजस्व	८,६७,५७,०००	०	८,६७,५७,०००
५०.	बीस सूत्र कार्यान्वयन	राजस्व	२८,२४,४००	०	२८,२४,४००
५१.	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राजस्व	३,६७,०००	०	३,६७,०००
५२.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	५७,३७,०७,०००	०	५७,३७,०७,०००
५५.	महिला एवं बाल विकास	राजस्व	२,६१,६६,८८,०००	१५,००,०००	२,६१,८१,८८,०००
		पूँजी	३१,२४,३८,०००	०	३१,२४,३८,०००
५६.	ग्रामोद्योग	राजस्व	३,०६,७०,१००	०	३,०६,७०,१००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये		
५८.	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	राजस्व	५,१७,५०,०००	०	५,१७,५०,०००
६१.	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	पूंजी	२०,००,००,०००	०	२०,००,००,०००
६२.	पंचायत	राजस्व	१५,९२,४७,०००	०	१५,९२,४७,०००
६३.	अल्प संख्यक कल्याण	राजस्व	२३,४०,५००	०	२३,४०,५००
६४.	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	७८,०२,८०,०००	०	७८,०२,८०,०००
		पूंजी	९९,६७,००,१००	०	९९,६७,००,१००
६५.	विमानन	राजस्व	२,००,००,०००	०	२,००,००,०००
		पूंजी	४,००,००,०००	०	४,००,००,०००
६६.	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राजस्व	१,३५,२०,७३,०००	०	१,३५,२०,७३,०००
		पूंजी	१७,८८,७०,०००	०	१७,८८,७०,०००
६७.	लोक निर्माण कार्य— भवन	राजस्व	४८,२९,६२,०००	०	४८,२९,६२,०००
		पूंजी	२४,००,००,०००	०	२४,००,००,०००
६९.	सूचना प्रौद्योगिकी	पूंजी	५,४५,००,०००	०	५,४५,००,०००
७२.	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	राजस्व	१,८४,८१,०००	०	१,८४,८१,०००
७३.	चिकित्सा शिक्षा	राजस्व	५३,७०,२१,१००	०	५३,७०,२१,१००
		पूंजी	७,५४,५०,२००	०	७,५४,५०,२००
७४.	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	२४,९५,७२,०००	०	२४,९५,७२,०००
७५.	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	८२,३७,००,०००	०	८२,३७,००,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
७७. स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)		राजस्व २,१७,३६,९६,१०० पूँजी ५,००,००,०००	६०,००,००० ०	२,१७,९६,९६,१०० ५,००,००,०००
७८. उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण		राजस्व ३४,२४,९७,०००	०	३४,२४,९७,०००
७९. अपरम्परागत ऊर्जा		राजस्व ४,६१,१८,४००	०	४,६१,१८,४००
	योग :	{ राजस्व ४४,०३,३७,०६,५०० पूँजी २०,७९,१७,७४,७००	३,८९,५१,९४,४०० १,८५,३३,२००	४७,९२,८९,००,९०० २०,८१,०३,०७,९००
	वृहद योग :	६४,८२,५४,८१,२००	३,९१,३७,२७,६००	६८,७३,९२,०८,८००

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४ (१) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है, जो वित्तीय वर्ष २०१०-२०११ के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित अनुपूरक व्यय और मध्यप्रदेश सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गये अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख २२ नवम्बर, २०१०.

राघवजी
भारसाधक सदस्य.

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशांसित.”

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.